पत्र संख्या : 7ब / 4702 यो०ज०सं०–19 / 14 300

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 25-3-15

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–24– नई योजनाओं का–भू–गर्भ जल सर्वेक्षण / संरक्षण कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड– 50P470200796240759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष, के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	50–लघु सिंचाई विभाग / 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष – 24 –नई योजनाओं का–भू–गर्भ जल सर्वेक्षण / संरक्षण कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण,	07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, 50P470200796240759	**3.5290**

आवंटित राशि – ₹ तीन लाख बावन हजार नब्बे मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2014–2015 के बजट उपबंध **रू० 35.00 लाख (पैतीस लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट–1 में वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 30 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यार्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev Singh

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 300 रॉची, दिनांक :– 25-3-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/दुमका** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev Singh

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 300 रॉंची, दिनांक :– 25-3-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉंची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुखदेव सिंह)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	**प्रधान सचिव**

पत्रांक – 300 / रॉंची, दिनांक – 25-3-15 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष–24–नई योजनाओं का भू–गर्भ जल सर्वेक्षण/संरक्षण कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण ,
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय,
विपत्र कोड–50P470200796240759
बजट उपबंध (वर्ष 2014–15) रू॰ 35.00 लाख

राशि (लाख रू. में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल	जिला	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, रॉंची (RNCIRR009)	रॉंची	भूर्गभ जल निदेशालय, रॉंची	Geophysical study up to depth of 100 meters of suitable site for bore wel for artifical recharge of Ground Water by adopting innovative methodologies of Rain Water Harvesting & Submisition of Report Sample bottle made of poly plastice narrow mouth having built-in-washer in the cap	3.4935	77/14–15 प्र॰स्वी॰, दि॰ 16.03.2015	0.00	0.0000	1.1645	1.1645	119501	
				राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में स्टॉल पर आनेवाला खर्च	1.2000	81/14–15 प्र॰स्वी॰, दि॰ 21.03.2015	0	0.0000	1.2000	1.2000		कराये गये कार्य के लिए
							योग	**0.0000**	**2.3645**	**2.3645**		
2	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, दुमका (DMKIRR020)	दुमका	भूर्गभ जल निदेशालय, रॉंची	Geophysical study up to depth of 100 meters of suitable site for bore wel for artifical recharge of Ground Water by adopting innovative methodologies of Rain Water Harvesting & Submisition of Report Sample bottle made of poly plastice narrow mouth having built-in-washer in the cap	3.4935	77/14–15 प्र॰स्वी॰, दि॰ 16.03.2015	0.00	0.0000	1.1645	1.1645	119502	
							योग	**0.0000**	**1.1645**	**1.1645**		
							कुल योग	**0.0000**	**3.5290**	**3.5290**		

आवंटित राशि – ₹ तीन लाख बावन हजार नब्बे मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव